मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

: : संशोधित एकजाई आदेश : :

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप में एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

2. पात्रता की शर्ते-:

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो,
परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।

2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बारहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठयक्रमों मे प्रवेश लेते है तथा जिन्होनें वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये है, भी इस योजना में पात्र होगें।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंगक्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रेंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढ़ाई :-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्वालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।